राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक 10(3)शिक्षा/ग्रुप–3/2013 जयपुर, दिनांक: जुलाई, 2012

परिपत्र

विषयः राजकीय महाविद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को आर.एस.एल.डी.सी. (राजस्थान कौशल् एवं आजीविका विकास निगम) द्वारा आयोजित किये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु निजी सहभागी संस्थाओ को उपलब्ध करवाने बाबत।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निजी सहभागिता से कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अनुभव में यह देखने में आया है कि निजी सहभागियों को कार्यक्रम संचालन हेतु जो निजी भवनों में जो कक्ष उपलब्ध हो रहे हैं वे 25 प्रशिक्षुओं हेतु अपर्याप्त आकार के हैं, साथ ही शारीरिक अभ्यास हेतु मैदान उपलब्ध होने में भी परेशानियां पेश आ रही हैं। निजी भवनों में प्रशिक्षक संस्थानों को 11 माह या इससे भी कम की लीज पर भवन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

इस पृष्ठ भूमि में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से उनकी आधारभूत संरचना (खेल–मैदान/खाली पड़ी भूमि, कक्षा–कक्ष मय फर्नीचर, कम्प्यूटर लैब आदि) उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा की है। विकास निगम के कौशल विकास सम्बन्धित पहल से राज्य में कौशल–विकास होगा। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजकीय महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम अथवा इसके द्वारा सूचीबद्ध निजी सहभागियों को उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिसके लिए शर्तें निम्नानुसार होंगी :–

1. शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं (खेल मैदान/खाली पड़ी भूमि, कक्षा–कक्ष मय फर्नीचर, कम्प्यूटर लैब आदि) के उपयोग हेतु अनुमति सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षणों को संचालित करने हेतु दी जायेगी राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, द्वारा प्रायोजित किया जा रहा हो।
2. महिला अथवा बालिका शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत सुविधायें उन्हीं परिस्थिति में उपलब्ध करवाये जाने हैं जबकि संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण विशुद्ध रूप से बालिकाओं/महिलाओं के लिए हों। अन्य परिस्थितियों में बालिका/महिला शैक्षणिक संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपयोगार्थ उपलब्ध नहीं करवाया जाना है।
3. शैक्षणिक संस्थान का कोई भी हिस्सा प्रशिक्षण संस्थान के आवासीय उपयोग हेतु नहीं दिया जायेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने से पूर्व प्रशिक्षण देने वाली एजेन्सी शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य को अपना वार्षिक कलेण्डर (वर्ष में कितने समय व प्रत्येक दिन कितनी अवधि हेतु तथा किन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी आदि) के विषय में अवगत करवायेंगे। यदि शैक्षणिक संस्थान इतनी अवधि के लिए या दोनों को स्वीकार्य अवधि के लिए अपनी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की स्थिति में होगा तो सुविधायें उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा। शैक्षणिक संस्थान में एक से अधिक पारियां संचालित होने, शैक्षणिक संस्थान स्वयं की सुविधायें सीमित होने तथा उसके द्वारा नेशनल कैडेट कोर, स्काउट, खेल–कूद आदि अन्य गतिविधियों के कारण यदि मैदान वर्ष के अधिकांश दिन व्यस्त रहता हो तथा प्रशिक्षण संस्थान की वांछित अवधि में

उपलब्ध न हो तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर खेल–मैदान उपलब्ध करवाने की बाध्यता नहीं होगी। यदि शैक्षणिक संस्था अपने संचालन की अवधि में व्यवहारिक परिवर्तन कर प्रशिक्षण संस्थान को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवा सके तो इसकी अनुमति प्रदान की जावेगी।

5. शैक्षणिक संस्थान/राज्य सरकार की आकस्मिक या अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता यथा स्थानीय निकायों, लोकसभा, विधानसभा चुनाव, शैक्षणिक संस्थान द्वारा खेल–कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन, परीक्षाओं, विद्यमान संस्थाओं के निरीक्षण आदि के लिए यदि आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो इस अवधि के समय मैदान का उपयोग प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थगित रखा जायेगा। प्रशिक्षण एजेन्सी व शैक्षणिक संस्थान सहमति से यदि कलैण्डर व दैनिक समय में तालमेल बैठा सकें तो इसके लिए छूट होगी परन्तु शैक्षणिक संस्था के हितों को सर्वोच्च वरीयता दी जावेगी व शैक्षणिक संस्थान/राज्य सरकार ऐसी आवश्यकता की अवधि में अपनी आधारभूत संरचना प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य नहीं होंगे।

6. शैक्षणिक संस्थान द्वारा आधारभूत संरचना "जहॉ है, जैसा हैं" की शर्त पर उपलब्ध करवाया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण संस्थान को यदि कोई भी परिवर्तन करवाने की आवश्यकता हो तो सहमति पत्र हस्ताक्षरित करने से पूर्व इस विषय में शैक्षणिक संस्थान को सूचित कर सहमति प्राप्त करनी होगी। प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक संस्थान की आधारभूत संरचना में, स्थाई या अस्थाई कोई भी परिवर्तन इस प्रकार का नहीं करेगा जो शैक्षणिक संस्थान को स्वीकार्य न हो अथवा जिससे शैक्षणिक संस्थान के दैनन्दिन व नियमित उपयोग में बाधा उत्पन्न होती हो। शैक्षणिक संस्थान की पूर्व सहमति से यदि उपयोग में न लिये जा रहे स्थान पर कोई स्थाई या अस्थाई संरचना खड़ी की जाती है तो इसकी अनुमति होगी। ऐसी किसी भी संरचना का व्यय प्रशिक्षण संस्थान को वहन करना होगा तथा शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता समाप्त हो जाने पर इसे हटाने की हो तो इसका समस्त व्यय भी प्रशिक्षण एजेन्सी को वहन करना होगा। इस तथ्यों का उल्लेख सहमति पत्र में किया जाना आवश्यक होगा ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. शैक्षणिक संस्था के जिस भाग का उपयोग प्रशिक्षण एजेन्सी द्वारा किया जायेगा उस पर किये जाने वाले रख–रखाव, समतलीकरण, साफ–सफाई, अनावर्ती व आवर्ती (विद्युत व्यय, पानी के व्यय) व्ययों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा। यदि किन्हीं व्ययों को साझा करने की आवश्यकता हो तो पूर्व सहमति से ऐसा किये जाने की अनुमति होगी।

8. प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक संस्थान का उपयोग करने वाले प्रशिक्षकों, अधिकारियों, प्रशिक्षुओं की सूची शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य को उपलब्ध करवायेगा। प्रशिक्षण एजेन्सी सभी उपयोगकर्ताओं को शैक्षणिक संस्थान के नियमों की पालना करवाने, साफ–सफाई रखने, ऐसी कोई गतिविधि न करने जो शैक्षणिक सरथान के कार्यों में विघ्न डालती हो, के लिए उत्तरदायी होगी तथा उसे इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का शीघ्र व उपयुक्त निस्तारण करना होगा। प्रशिक्षण संस्था उसके कार्मिकों व प्रशिक्षुओं के व्यवहार हेतु उत्तरदायी होगी।

9. प्रशिक्षण एजेन्सी द्वारा शर्तों के पालन न किये जाने, शिकायतों का उपयुक्त व समयबद्ध निस्तारण न किये जाने की स्थिति में शैक्षणिक संस्थान अनुमति पत्र निरस्त करने को

स्वतंत्र होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षण एजेन्सी को होने वाली किसी क्षति का उत्तरदायित्व शैक्षणिक संस्थान का नहीं होगा।

10. प्रशिक्षण एजेन्सी द्वारा संचालित किसी कार्य से यदि शैक्षणिक संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है तो इसकी भरपाई करने का उत्तरदायित्व प्रशिक्षण संस्था का होगा तथा वह शैक्षणिक संस्थान की संतुष्टि तक भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगी।

11. प्रशिक्षण एजेन्सी द्वारा संचालित प्रशिक्षण में शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थियों को यदि किसी रूप में हितभागी बनाया जाना सम्भव हो तथा वे प्रशिक्षण देने या लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभा सके अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने में वरीयता प्राप्त कर सकें तो यह दोनों पेक्षों के परस्पर सम्बन्धों के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगी होगा। सहमति पत्र हस्ताक्षरित करने से पूर्व इसकी सम्भावनायें तलाश कर ऐसी व्यवस्था को सहमति पत्र में शामिल किया जा सकता है।

12. प्रशिक्षण संस्था राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय मिशन से पृथक किसी प्रकार के अन्य व्यवसायिक, सामाजिक, धार्मिक या निजी उपयोग के लिए शैक्षणिक संस्थान की आधारभूत संरचना का उपयोग नहीं करेगी।

13. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक संस्थान से प्रयोगशाला, कक्षा–कक्षों, उपकरण, फर्नीचर आदि की मांग की जाती है तो ऐसा शैक्षणिक संस्था को स्वीकार्य होने की परिस्थिति व शैक्षणिक संस्था के कार्य में बाधा न उत्पन्न होने की शर्त पर ही किया जावेगा तथा ऐसी सुविधाओं को साझा करने के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तों को पहले से तय कर सहमति पत्र में इनका उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

14. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रायोजित/संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक संस्थान प्रशिक्षण संस्थान व शैक्षणिक संस्था दोनों को स्वीकार्य शुल्क पर आधारभूत संरचनायें उपलब्ध करवायेगा। खेल मैदान का शुल्क फ्लैट रेट पर 1000/– रूपये प्रतिमाह रहेगा। मैदान के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रशिक्षण संस्थान के उपयोग में आने वाले भवन के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। जिसकी गणना 50/– रुपये प्रतिवर्गमीटर के आधार पर की जानी है। यह राशि किसी भी हालत में रुपये 50,000/– प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

15. प्रशिक्षण संस्थान को एक निर्धारित राशि (50,000/– से अधिक नहीं) धरोहर के रूप में शैक्षणिक संस्थान को जमा करवानी होगी। यह राशि रिफन्डेवल होगी। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यदि कोई क्षति शैक्षणिक संस्थान को पहुंचाई जाती है अथवा इसकी कोई देनदारियों हैं तो इसका उपयोग इनकी भरपाई हेतु किया जा सकेगा।

16. किन्हीं अपरिहार्य व न्यायसंगत परिस्थिति के कारण यदि शैक्षणिक संस्थान के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों कि वह अपनी आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने में अक्षम हो तो इन परिस्थितियों का उल्लेख कर उसे सहमति पत्र को भंग करने का अधिकार होगा। परन्तु ऐसा करने हेतु शैक्षणिक संस्थान के प्रशासनिक विभाग की अनुमति व संतुष्टि की आवश्यकता होगी एवं इसकी सूचना आर.एस.एल.डी.सी. को भी अविलम्ब प्रेषित करनी होगी।

17. विवाद की स्थिति में अथवा अन्यथा शैक्षणिक संस्थान के प्रशासनिक विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा उभयपक्षों को स्वीकार्य होगा।

18. प्रशिक्षण एजेन्सी द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले रसायनों, घातक उपकरणों या हथियारों का उपयोग नहीं किया जायेगा। ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग यथा सम्भव न्यूनतम होगा

4

तथा शिक्षण संस्थान की गतिविधियों को बाधित करने की स्थिति में निषिद्ध किया जा सकेगा।

19. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित किसी गतिविधि से यदि किसी नागरिक/विद्यार्थी/प्रशिक्षु को कोई क्षति होती है तो इसके लिए शैक्षणिक संस्थान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके द्वारा नियुक्त कार्मिकों, प्रशिक्षुओं व अन्य किसी नागरिक से होने वाले न्यायिक वाद में शैक्षणिक संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा तत्सम्बन्धी समस्त व्यय का वहन प्रशिक्षण संस्था को करना होगा।

20. प्रशिक्षण संस्थान को यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा शैक्षणिक संस्थान में की जा रही गतिविधियां नियम विरुद्ध नहीं होंगी तथा इनसे शैक्षणिक संस्थान के उपयोगकर्ताओं तथा पड़ोस के नागरिकों की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

21. प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं व कार्मिकों को शैक्षणिक संस्थान व इसके प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करानी होगी।

22. प्रशिक्षण संस्थान व शैक्षणिक संस्थान के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा जिस पर आर.एस.एल.डी.सी. के प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण संस्था के कॉर्डिनेटर के तौर पर हस्ताक्षर करेगा। यह सहमति पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक्जीक्यूट किया जायेगा।

23. एक बार में सहमति पत्र एक वर्ष के लिए हस्ताक्षरित किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थान की संतुष्टि होने पर सहमति पत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकेगा अथवा पुनः नया सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जा सकेगा। नया सहमति पत्र हस्ताक्षरित करते समय यदि आवश्यकता हो तो शर्तों में उभयपक्षों की सहमति से बदलाव किया जा सकेगा।

24. शैक्षणिक संस्थान व प्रशिक्षण संस्थान के प्राधिकृत/नामित अधिकारी समय-समय पर बैठक व निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण की गतिविधियां सहमति पत्र की शर्तों के अनुसार संचालित की जा रही हैं अथवा नहीं।

समस्त राजकीय महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

I.D. No. 655 /PS/CC
Dated 22-7-13

JD(P&C)

22/7/13

हo

(राजीव स्वरूप)
प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

2217
1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राज0 मार्फत निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर।

(बी.एल.कन्दोई)
संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा